

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/1207/2022/10-11/766 भोपाल, दिनांक 01/03/25
प्रति,

महाप्रबंधक,
जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
सिंगरौली, मध्यप्रदेश।

विषय:— सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत ROW में पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.8057 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/WATER/151757/2023)

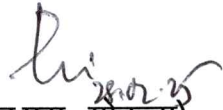
संदर्भ:— भारत सरकार का पत्र क्रमांक/6-MPB 016/2023 - BHO/ दिनांक 21.02.2025 .

-----0-----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार के चाहे अनुसार बिन्दुवार जानकारी वन मण्डल अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।


(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

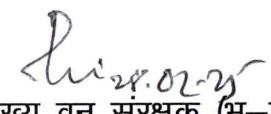
पृ. क्रमांक/एफ-5/1207/2022/10-11/767
प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक 01/03/25

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।

की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,

BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in



क्रमांक: 6-एमपीबी 016/2023-बीएचओ/

दिनांक :

/02/2025

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश) ।

विषय: सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत RoW में पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.8057 हेक्टेयर आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/WATER/151757/2023) ।

संदर्भ: 1. नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-5/1207/2022/10-11/126 दिनांक 13/01/2025.

2. आर्.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/354 दिनांक 13/02/2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर्.ई.सी. बैठक दिनांक 30/01/2025 को आयोजित की गयी । बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 13/02/2025 (संदर्भित पत्र-2) अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. The DFO and User Agency shall submit a documentary evidence of legal sanctity of the habitations to which drinking water supply is proposed and ensure that drinking water is supplied solely to the authorized (Revenue or FRA) settlements. The details of authorized settlements may also be submitted.
2. The User Agency shall present the complete KML file of Gond Devsar Multi Village Rural Water Supply, clearly depicting all components (i.e. WTP, OHT, Distribution network, etc) in forest as well as non-forest area in different colours to the Regional Empowered Committee.

Signed by Yogesh Gairola

(डॉ. योगेश गैरोला)

Date: 21-02-2025 14:53:36

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।